

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : ३। मार्च, 2018

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-महराजगंज की 11 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4812/51/10/छ./विविध/2017-18; दिनांक 05 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-महराजगंज की न0पा0पर0, नौतनवां तथा महराजगंज एवं न0प0, आनन्दनगर की विभिन्न मलिन उस्तिखाँ में इण्टरलाइंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग 11 परियोजनाओं हेतु कुल रु0 462.66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लाइन का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रु0 231.33 लाख (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख तीनीस हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहै स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नानुसार योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णपण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं के प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर स्त्री जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

क्रमशः.....2

5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अवृत्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दोषित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की विविरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक सचिव नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, विशेष सचिव तथा सचिव सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताकारोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ क्रोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपरोक्त प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
14. सेन्टेज चार्ज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-१७(४)/७५, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पैद्जीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० पत्र संख्या-ई-8-701/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
३१/३/१९
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-२/० /2018/483(1)/69-१-१८, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र० २० सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी लढ़मुद्रन कार्यक्रम विभाग, ३०प्र० शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महाराजगंज।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० १४११।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, ३०प्र० शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जिलाहार भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कंप्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 210 /2018/483(1)/69-1-18-50(म0ब0-83)/2018, दिनांक 31 मार्च, 2018
का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृति की जाने वाली धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	महाराजगंज	न०पं०, आनन्दनगर	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० अन्बेडकर नगर में हरिश्चन्द्र के मकान से नगर पंचायत सीमा तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	92.24	46.12
2	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० अन्बेडकर नगर में सुन्दर धोबी के मकान से हरिश्चन्द्र के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	84.10	42.05
3	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 09 के अन्तर्गत मो० निरालानगर में भोलो सिंह के मकान से सुलभ शौचालय तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	85.97	42.985
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 09 के अन्तर्गत मो० निरालानगर में राष्यारे के मकान से सुलभ शौचालय वाइ पास तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	85.85	42.925
5	तदैव	न०पा०परि०, नौतनवां	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० इन्दिरानगर में विनोद शुक्ला के मकान से निरंजन जयसवाल के घर होते हुये विजय चिकित्सकर्मा के घर तक एवं धर्मन्द्र के घर से आरुष के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	19.01	9.505
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० इन्दिरानगर में महेश चौरसिया के मकान से बिजली पाठक के घर होते हुये राधेश्याम अगहरी के घर तक एवं राकेश के घर से अमन के तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.46	9.23
7	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० इन्दिरानगर में पवन थापा के मकान से राजू के घर होते हुये रवि प्रताप के घर तक एवं रमन के घर से अर्जुन के घर तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	18.85	9.425
8	तदैव	तदैव	वार्ड नं० 01 के अन्तर्गत मो० इन्दिरानगर में मुकेश स्मृति भवन के मकान से प्रेम मिस्ट्री के मकान तक एवं मुकेश, अहमद, एवं रितिक के मकान तक सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण का कार्य।	8.65	4.325
9	तदैव	न०पा०परि, महाराजगंज	वार्ड नं० 10 इन्दिरानगर में श्री भजुराम के घर से श्री परदेशी के प्लाट होते हुये बलिया नाला तक पेवर इंटरलाकिंग निर्माण कार्य।	28.68	14.34

10	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 10 के अन्तर्गत मो0 गांधीनगर में श्री निरंजन के घर से श्री रानदवन के घर तक पेवर इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.54	4.77
11	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 06 के अन्तर्गत मो0 गांधीनगर में श्री रामप्रीत के घर से श्री शिवशंकर के घर तक पेवर इंटरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.31	5.655
योग				462.66	231.33

(रूपये दो करोड़ इकतीस लाख तैनीस हजार मात्र)

(अधिकारी बहुमतारी)

अनु सचिव।